संख्या-308/2024/626/22-2-2023-17(570)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2024*

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद कटारा पुत्र श्री प्रभू कटारा, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद कटारा पुत्र श्री प्रभू कटारा, ग्राम-औलेण्डा, थाना-फतेहपुर सीकरी, जनपद-आगरा का निवासी है। बंदी द्वारा आपसी बटवारे के कारण दिनांक 10.09.1982 को 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर लाठी, चाकू व फर्सा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-535/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम्, आगरा के दण्डादेश आदेश दिनांक 06.01.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.08.2016 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.07.2022 तक 06 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष, 01 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 56 वर्ष, बन्दी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष, 05 माह 09 दिन तथा 08 वर्ष 01 माह 16 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद कटारा (बन्दी संख्या-132/2018) पुत्र श्री प्रभू कटारा, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-308/2024/626(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।